

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल उपयुक्ता/उपलब्धता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम :- प्रधान मन्त्री शम-सड़के योजना के अन्तर्गत गहिरवाड़ा

वाणिज्यिक जंगल जोड़ने के निर्माण हेतु 0.731 है०

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना हेतु याचित भूमि 1.00 है० से कम यानि 0.731 है० मात्र वन भूमि है, 1.00 है० से कम वन भूमि होने के फलस्वरूप

अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं० 56/7-1 (व०भू०ह०) 66(75)

2008 दिनांक 22.03.2012 के अनुसार परियोजना पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण लागू न

होने का आदेश प्राप्त है। जिस कारण परियोजना हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये

स्थल उपयुक्ता/उपलब्धता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन की आवश्यकता नहीं है।


प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी